निविदा सूचना।

पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याःपीएसी–तीन–260(बजट)2026/130 दिनांक 29.07.2026 एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ के पत्र संख्याः पीएसी–एल/एस–एसी–1–317(भ0/प्र0)/2026–27 दिनांक 21.09.2026 के अनुक्रम में 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को आवंटित अनुदान (रू0 27,08,000/–) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026–27 में मानक मद–29 विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रू0 6,67,000/– से हाउस गार्द बैण्ड बैरिक लखनऊ में 05 कार्यों को कराया जाना है।

क्र0स0	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	धनराशि
01	भ–59/2026	बस बार पैनल बाक्स लगाने का कार्य	रू0 30,000/–
02	भ–60/2026	मनोरंजन गृह व बैरक 03 में बरामदे की वायरिंग का कार्य	रू0 30,008/–
03	भ–61/2026	स्नानागार में फर्श व दिवार की मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य	रू0 1,99,000/–
04	भ–62/2026	क्वार्टर गार्द मंदिर के सामने गिट्टी डालकर फर्श का कार्य	रू0 1,99,000/–
05	भ–63/2026	हौज व हौज के ऊपर टीन शेड का कार्य	रू0 1,99,000/–
		सम्पूर्ण योग–	रू0 6,57,008/–

निविदा की शर्तें–

1– निविदा फार्म **दिनांक 23–10–2026 से 02–11–2026** तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य उपरोक्त कार्य के क्रम संख्या 01 से 02 तक निर्धारित शुल्क **रू0 200/–** एवं क्रम संख्या 03 से 05 तक के कार्यो के लिये निर्धारित शुल्क **रू0 500/–** जमाकर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2– उपरोक्त प्रत्येक कार्य हेतु अलग–2 निविदा **दिनांक 03–11–2026 को प्रातः 10.00 बजे से 13.00 बजे** तक डाली जा सकती हैं, जिसे **दिनांक 03–11–2026** को अपरान्ह 13.00 बजे वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी उप सेनानायक अथवा सहायक सेनानायक द्वारा निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी।

3– उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु अलग–अलग निविदा **दिनांक 03–11–2026 को प्रातः 12 बजे** तक कमेटी अध्यक्ष के समक्ष सभी निविदा दाताओं द्वारा डाली जायेगी। **निविदा के साथ ठेकेदार 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी लिफाफे में भरकर डालेंगे।**

4– निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ **अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन 06 माह के पूर्व न हो, इस बात को निविदादाता/ठेकेदार ध्यान में अवश्य रखेगा।**

5– निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।

6– ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/कर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथं पत्र संलग्न करना होगा कि उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। **किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास रहेगा।**

7– उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्मे किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा निविदा शर्तों के अनुसार प्रापत कर सकते है।

8– वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।

9– ठेकेदार निविदा के प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य का भली–भाँति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इसके सम्बन्ध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

11– विलम्ब अथवा रज़िस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

12– ठेकेदार को 01 प्रतिशत जीएसटी एवं 01 प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

13– **चालू वित्तीय वर्ष में कार्य निविदा स्वीकृत होने एवं कार्यादेश निर्गत होने के एक माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी।**

14– निविदा अद्योहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों (राजपत्रित अधिकारियों) द्वारा दिनांक **दिनांक 03–11–2026** अर्थात उसी दिन दोपहर **1300 बजे** खोली जायेगी।

15– निविदा स्वीकृति पश्चात अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

16– वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।

17– बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।

18– वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अद्योहस्ताक्षरि द्वारा जारी ओदश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा, तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।

19– अद्योहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/निविदा निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा। अद्योहस्ताक्षरी उसका कोई कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।

20– यदि ठेकेदार के विषय में आवांछनिय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

21– ठेकेदार द्वारा यदि पानी/बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।

22– ठेकेदार निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यो को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।

23– किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद–लखनऊ होगा।

24– निविदादाता कार्य को निर्धारित की गयी 01 माह की अवधि में पूर्ण करने में ठेकेदार असफल रहता है, तो निविदादाता/ठेकेदार अद्योहस्ताक्षरी से 15 दिवस के अतिरिक्त समय की मांग कर सकता है।

पत्र संख्याः भ–61/2026
दिनांकः अक्टूबर, 22 ,2026

(गोपाल कृष्ण चौधरी)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतुः–

1– कण्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर कराने का कष्ट करें। **(ई–मेल पर)**
2– पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– पुलिस महानिरीक्षक मध्य जोन, उ0प्र0 लखनऊ।
4– पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ।
5– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जिला उद्योगअधिकारी जनपद लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार–प्रसार कराने का भी कष्ट करें।
6– समस्त राजपत्रित अधिकारी/शिविरपाल/सूबेदार सैन्य सहायक/समस्त दलनायक को निविदा का समुचित प्रचार/प्रसार कराने हेतु।
7– कार्यालय नोटिस बोर्ड/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।
8– उप सेनानायक/सहायक सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 03–11–2026 को निविदा प्रपत्र अपने सम्मुख खुलवाकर उसका तुलनात्मक चार्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित करें।
9– शिविरपाल 32वी वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा की समस्त कार्यवाही समय से कराना सुनिशिचत करें।
10– आंकिक को सूचनार्थ एवं निविदा की शर्तो के अधीन अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु।
11– जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्यजोन उ0प्र0 लखनऊ।